



राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
रायपुर, छत्तीसगढ़



क्र. 1203 मि.सं./रा.स्व.भा.मि.(ग्रा.)/पं.ग्रा.वि.वि./2019

रायपुर, दिनांक 05.12.2019

मान. NGT प्राथम्य

प्रति,

कलेक्टर सह अध्यक्ष,  
प्रबंधन समिति, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
जिला - जेमैतरी

विषय:- मान. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक O.A. No. 606/2018 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2019 के क्रियान्वयन बाबत।

संदर्भ:- मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 09.12.2019 को आयोजित बैठक के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत इस वर्ष की कार्यान्वयन योजना में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आपके जिले का निर्धारित लक्ष्य 84 है, जिसमें से आपके जिले की 84 ग्राम पंचायतों की DPR बनायी गयी है, 84 ग्राम पंचायतों की DPR का अनुमोदन हुआ है और केवल 22 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारम्भ हुआ तथा 0 ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण हुआ है। 31.09.2019 तक लक्ष्य के अनुरूप सभी DPR का अनुमोदन हो जाना था, परन्तु अभी भी आपके जिले में 62 DPR का अनुमोदन/निर्माण कार्य शेष है, जो असंतोषजनक है।

2/ माननीय एनजीटी प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 206/2018 में पारित आदेश 30.04.2019 के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 09.12.2019 को समीक्षा बैठक आहूत की गयी है।

कृपया SLWM हेतु निर्धारित उक्त समय-सीमा की दृष्टिगत उचित कार्यवाही करते हुए अद्यतन जानकारी दिनांक 06.12.2019 तक अवश्य उपलब्ध करने का कष्ट करें, जिससे बैठक में अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की जा सके।

मिशन संचालक  
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
रायपुर, छत्तीसगढ़

अब नहीं तो कब ?

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर की ओर सूचानर्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सह, सदस्य सचिव, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिला - खैतरा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



मिशन संचालक  
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
रायपुर, छत्तीसगढ़

---

अब नहीं तो कब ?